



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223869
CG-DL-E-22122020-223869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942

No. 555]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब 013/1/2020 पब-बी आई एस (112).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को निरस्त न हो जाये।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	स्थापित तिथि	भारतीय मानक(कों) जो कि रद्द होने है, अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक	रद्द होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1448 (भाग 180) : 2020/आई एस ओ 16591 : 2010	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं

	पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए परीक्षण के तरीके भाग 180 पेट्रोलियम उत्पाद – सल्फर अंश ज्ञात करना – ऑक्सीडेटिव माइक्रोक्यूलोमेट्री पद्धति			
2	आई एस/आई एस ओ 5247-1 : 2004 वस्त्रादि मशीनरी एवं सहायकांग – बुनाई मशीनें भाग 1 शब्दावली और वर्गीकरण	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस/आई एस ओ 11676 : 2014 वस्त्रादि मशीनरी एवं सहायकांग – ताना बुनाई मशीनों के लिए पैटर्न डिस्क और पैटर्न चैन – शब्दावली और प्रतीक	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आई एस/आई एस ओ 12912 : 2014 गोलाकार (चक्करदार) बुनाई मशीनें – शब्दावली	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आई एस 18010 (भाग 1) : 2020 यूनिफाइड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर – यूनिफाइड लास्ट माइल कम्युनिकेशन प्रोटोकाल स्टैक – रेफेरेंस आर्किटेक्चर (यूडीआई – यूएलएमसीपीएस – आरए)	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
6	आई एस 17165 : 2020 स्थायीकृत मृदा के ब्लॉक का निर्माण – मार्गदर्शी सिद्धान्त	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
7	आई एस 17428 (भाग 1) : 2020 डेटा गोपनीयता आश्वासन भाग 1 इंजीनियरिंग और प्रबंधन आवश्यकताएँ	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
8	आई एस 17428 (भाग 2) : 2020 डेटा गोपनीयता आश्वासन भाग 2 इंजीनियरिंग और प्रबंधन दिशानिर्देश	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
9	आई एस 17455 : 2020/आई एस ओ 23771 : 2015 वस्त्रादि मशीनरी – शोर उत्सर्जन में कमी के लिए वस्त्रादि मशीनरी के डिज़ाइन के लिए मार्गदर्शिका	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
	आई एस 17507 : 2020 चिकित्सीय वस्त्रादि – सेलुलोज़ वैडिंग –			

10	विशिष्टि	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं
11	आई एस 17508 : 2020 प्रयोज्य बयस्क इंकान्टीनेंस डायपर – विशिष्टि	20 नवम्बर 2020	लागू नहीं	लागू नहीं

इस मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पूणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि तथा विशाखापट्टनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर ऑनलाइन खरीदा/डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन III/4/असा./417/2020-21]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (112)—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

SI No.	No, Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. Year & Title of the Indian Standards to be Cancelled, if any	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1448 (Part 180) : 2020/ISO 16591 : 2010 Methods of Test for Petroleum and its Products Part 180 Petroleum Products — Determination of Sulphur Content — Oxidative Microcoulometry Method	20 Nov 2020	NA	NA
2	IS/ISO 5247-1 : 2004 Textile Machinery and Accessories — Weaving Machines Part 1 Vocabulary and Classification	20 Nov 2020	NA	NA
3	IS/ISO 11676 : 2014 Textile Machinery and Accessories — Pattern Disks and Pattern Chains for Warp Knitting Machines — Vocabulary and Symbols	20 Nov 2020	NA	NA
		20 Nov 2020		

4	IS/ISO 12912 : 2014 Circular Knitting Machines — Vocabulary		NA	NA
5	IS 18010 (Part 1) : 2020 Unified Digital Infrastructure — Unified Last Mile Communication Protocols Stack — Reference Architecture (UDI-ULMCPS-RA)	20 Nov 2020	NA	NA
6	IS 17165 : 2020 Manufacture of Stabilized Soil Blocks — Guidelines	20 Nov 2020	NA	NA
7	IS 17428 (Part 1) : 2020 Data Privacy Assurance Part 1 Engineering and Management Requirements	20 Nov 2020	NA	NA
8	IS 17428 (Part 2) : 2020 Data Privacy Assurance Part 2 Engineering and Management Guidelines	20 Nov 2020	NA	NA
9	IS 17455 : 2020/ISO 23771 : 2015 Textile Machinery — Guide to the Design of Textile Machinery for Reduction of the Noise Emissions	20 Nov 2020	NA	NA
10	IS 17507 : 2020 Medical Textiles — Cellulose Wading — Specification	20 Nov 2020	NA	NA
11	IS 17508 : 2020 Disposal Adult Incontinence Diaper — Specification	20 Nov 2020	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist 'G' & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.—III/4/Exty./417/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब 013/1/2020 पब-बी आई एस (113).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों/संशोधनों को विशेष रूप से दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न किया गया है, जिन्हें तीसरे कॉलम के इसके आगे दर्शाई गई तारीख को स्थापित कर दिया गया है। मानक का ब्योरा यदि कोई हो, जो चौथे कॉलम में दिया गया है, तो वे तब तक समवर्ती रूप से लागू रहेंगे, जब तक कि वे पांचवे कॉलम में निर्दिष्ट तारीख को रद्द न कर दिए गए हों।